


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


--: अधिसूचना ::--

संख्या-17/स्था.-10-05/2014, सा.प्र. 9773 / पटना, दिनांक:- 21-9-17
श्री रामचन्द्र पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करते हुए अगले आदेश तक राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मो० सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-17/स्था.-10-05/2014, सा.प्र. 9773 / पटना, दिनांक:- 21-9-17
प्रतिलिपि:- ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-17/स्था.-10-05/2014, सा.प्र. 9773 / पटना, दिनांक:- 21-9-17
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था.-10-05/2014, सा.प्र. 9773 / पटना, दिनांक:- 21-9-17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/श्री रामचन्द्र पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/प्रशाखा-15, 16 एवं 21, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था.-10-05/2014, सा.प्र. 9773 / पटना, दिनांक:- 21-9-17
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।